

03/01/18

अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला ने अभियुक्त मनोज की ओर से शीघ्र सुनवाई आवेदन पेशकर प्रकरण आज पेशी में लिए जाने का निवेदन किया। आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला उप०। उन्होंने अभियुक्त की ओर से मेमो पेश किया।

फरियादी उम्मेद सहित अधिवक्ता श्री एच०एस० शुक्ला। उन्होंने फरियादी की ओर से मेमो पेश किया।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री एच एस शुक्ला एवं अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दबाव, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कर रखा गया।

अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 294, 323, 506 भाग-2 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 294, 506 बी न्यायालय की

Identified by me
By
(H.S.Shukla)

मनोज सिंह
9/1/18

Lo
H.S.Shukla
1/1

Order Sheet [Contd]

Case No. 297/17 of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के अपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तत्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं। आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।</p> <p>प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।</p> <p>(A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt Bhind (M.P.)</p>	